न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता, R.A.S

(1) प्रार्थना पत्र संख्या 032/2020
अन्तर्गत धारा 144, 151 सिविल प्रकिया संहिता

1. पंकज पुत्र श्री रामचन्द्र जाति अरोडा निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर। .... प्रार्थी

ब ना म

1. सुखदेव सिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी 33 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर। (मृतक)

3.1 ज्ञान कौर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

3.2 हरदीप कौर पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

3.3 जगपाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

3.4 गुरनाम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

4. राजवन्त सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह निवासी 2 जे.एस.एम. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ....**अप्रार्थीयान**

उपस्थित – श्री ओमप्रकाश बतरा (प्रार्थी)
श्री मोहनलाल माहर (अप्रार्थी सं. 03)
पैरोकार राज (अप्रार्थी सं. 05)

(2) प्रार्थना पत्र संख्या 033/2020
अन्तर्गत धारा 144, 151 सिविल प्रकिया संहिता

1. तारो बाई पत्नि सतनाम सिंह जाति रायसिख निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ... प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:32 IST
Reason: SelfAttested

ब ना म

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक)

1. हरदीप सिंह उर्फ गगड सिंह पुत्र मुकंद सिंह निवासी कालियां तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर
3. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह मुखत्यारेआम राजवन्त सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह निवासी 2 जे.एस.एम. नई मण्डी घडसाना जिला श्रीगंगानगर। (मृतक)

3.1 ज्ञान कौर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

3.2 हरदीप कौर पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

3.3 जगपाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

3.4 गुरनाम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

4. गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

5. सुखदेव सिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी चक 23 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

...अप्रार्थीयान

उपस्थित – श्री ओमप्रकाश बतरा (प्रार्थी)
श्री मोहनलाल माहर (अप्रार्थी सं. 1, 3 व 4)
पैरोकार राज (अप्रार्थी सं. 02)

दिनांकः 31 अक्टूबर, 2025

–निर्णय–

प्रार्थी श्री पंकज द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 32/2020 अन्तर्गत धारा 144 व 151 सी.पी.सी. में अंकित तथ्यों अनुसार नारायण सिंह पुत्र श्री पंजाब सिंह जाति रायसिख के नाम चक 1 जे बडा मुरब्बा नम्बर– 34 में 18 बीघा रकबा खरीद किया हुआ है जिसका बैयनामा के आधार पर दिनांक 14.07.2012 को रकबा का इन्तकाल प्रार्थी के नाम दर्ज किया गया है। इन्तकाल के खिलाफ अप्रार्थी ने अपील अतिरिक्त जिलाधीश श्रीगंगानगर में की गयी जिसकी अपील खारिज हो गयी। नकल आदेश शामिल प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी ने एक दावा जनाबवाला के समक्ष महेन्द्रसिंह बनाम पंकज कुमार व एक दावा प्रार्थी ने जनाबवाला के समक्ष पंकज कुमार बनाम महेन्द्र सिंह का प्रस्तुत किया दोनों दावा में दिनांक 15.01.2019 को उपरोक्त रकबा रिसीवर करने का आदेश दिया गया जिसपर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 05.03.2019 को रकबा रिसीवर करके जमाबंदी में नोट अंकित किया। सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर (न्यायालय हाजा) के आदेश दिनांक 15.01.2019 के खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की जिसका निर्णय दिनांक 07.09.2020 को सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 15.01.2019 का निरस्त कर दिया। पूर्व की डिग्री आदेश निरस्त होने से पूर्व की दिनांक 15.01.2019 की स्थिति कायम की जानी चाहिए।

इसी प्रकार प्रार्थीया तारो बाई द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 33/2020, अन्तर्गत धारा 144 व 151 सी.पी.सी. में अंकित तथ्यों अनुसार प्रार्थीया ने श्रीमान् न्यायालय के समक्ष एक वाद उपरोक्त आराजी के संबंध में दिनांक 29.03.2016 को धारा 88,188,92ए आर टी एक्ट का पेश किया था कि उपरोक्त रकबा नारायण सिंह के मुख्तयारआम गंडा सिंह के खरीद क[illegible] इकरारनामा किया गया मगर अलोटी द्वारा रजिस्ट्री बैयनामा नहीं करवाने पर प्रार्थीया [illegible] एक दावा अपर जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष दावा संख्या 26/20[illegible] किया जिस पर अदालत द्वारा दिनांक 04.05.2013 को [illegible] दिनांक 04.08.2015 को अदालत द्वारा ही प्रार्थीया के हक में बैयनामा करवाया गया, बैयनामा की नकल शामिल है व डिक्री की नकल शामिल है।

अप्रार्थी हरदीप सिंह द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई तो प्रार्थीया ने उपरोक्त धाराओं में दावा पेश किया, इसी बीच में अप्रार्थीयान महेन्द्र सिंह, गुरजंट सिंह, सुखदेव सिंह को पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर उनको पक्षकार बनाया गया, पक्षकारों को सुनकर तीनों दावे खारिज किये गये तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:32 IST
Reason: SelfAttested

जमीन रिसीवर करने का आदेश पारित किया गया, जो दिनांक 15.01.2019 को रिसीवर द्वारा जमीन का कब्जा ले लिया गया। प्रार्थीया ने दिनांक 15.01.2019 के आदेश के खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की, जिस पर आदेश दिनांक 15.01.2019 को निरस्त कर मामला वापिस रिमाण्ड किया गया तथा मामला में आगामी पेशी 19.11.2020 निश्चित की हुई है। प्रार्थीया ने पूर्व में साधारण प्रार्थना पत्र पेश किया मगर कोई कार्यवाही नही हुई। अब धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करने की राय दी गई। धारा 144 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार चूंकि परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है, अतः आदेश के पूर्व की स्थिति कायम की जानी आवश्यक है। दिनांक 15.01.2019 को आदेश निरस्त होने से पूर्व की स्थिति कायम करवाना आवश्यक है, इसलिए रिसीवर जो किया गया है, वह समाप्त हो जाने के कारण कब्जा प्रार्थीया पाने की हकदार है। राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय के खिलाफ कोई अपील विचाराधीन नहीं है, ना ही कोई स्थगन आदेश है, अतः निर्णय दिनांक 15.01.2019 से पूर्व की स्थिति कायम करवाना आवश्यक है तथा कब्जा प्रार्थीया को दिलवाना आवश्यक है।

प्रार्थीगण श्री पंकज कुमार एवं तारो बाई द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144, 151 सी.पी.सी. न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को तलब किया गया। प्रार्थी श्री पंकज कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगणों द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत कृषि भूमि का आवंटन पुर्नवास विभाग द्वारा नारायण सिंह पुत्र पंजाब सिंह जटसिख को आवंटन किया गया था तथाकथित बैयनामा दिनांक 14.07.12 कूटरचित तथा फर्जकारी दस्तावेज तथाकथित गण्डा सिंह पुत्र धन सिंह ने जरिये मुख्तयारआम नारायण सिंह पुत्र पंजाब सिंह के द्वारा निस्पादित किया गया था जिसके विरूद्ध अप्रार्थी ने एफआईआर नं. 178/2012 दर्ज करवाई। पुलिस अन्वीक्षा में जरिये चालान में बिना प्रतिफल एंव बिना कब्जा होने से चालान प्रस्तुत किया जो जैरकार है। इन्तकाल की कार्यवाही केवल वाद जैरकार होने से निर्णित की गई है।

समस्त वादो को निर्णय दिनांक 15.01.2019 को श्रीमानजी द्वारा निरस्त फरमाया गया तथा राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 07.09.2020 को प्रकरणो को श्रीमानजी को प्रति प्रेषित किया है। श्रीमानजी के आदेश दिनांक 15.01.2019 की पालना में वादग्रस्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया गया चूंकि कब्जा अपार्थी का था इसलिए धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की कार्यवाही अप्रार्थी के विरूद्ध की गई। इसलिए कब्जा की पूर्व स्थिति बहाल नहीं की जा सकती।

आदेश दिनांक 15.01.2019 के पूर्व ना तो प्रार्थी का कभी कब्जा था और ना ही राजस्व रिकार्ड में सही इन्द्राज था इसलिए पूर्व स्थिति का प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य है। अतः जवाब अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र धारा 35 ए. सीपीसी के अनुसार सव्यय निरस्त फरमाया जावे ।

इसी प्रकार प्रार्थीया तारो बाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगणों द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि यह कि माननीय अपर जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर की डिग्री दिनांक 04.05.13 का ना कभी इजराय हुई और ना ही कानूनन निष्पादन योग्य डिग्री है। प्रश्नगत कृषि भूमि पर कभी भी प्रार्थीया का कब्जा नही था और ना ही कभी राजस्व अभिलेख में नामान्तरकरण दर्ज है इसलिए प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्ती योग्य है। अन्य कथनों में अंकित किया कि प्रश्नगत कृषि भूमि का आवंटन पुर्नवास विभाग द्वारा नारायण सिंह पुत्र पंजाब सिंह को किया गया था तथाकथित बैयनामा दिनांक 14.07.12 कूटरचित तथा फर्जकारी दस्तावेज तथाकथित गण्डा सिंह पुत्र धन सिंह ने जरिये मुख्तयारआम नारायण सिंह पुत्र पंजाब सिंह के द्वारा निष्पादित किया गया था जिसके विरूद्ध अप्रार्थी ने एफआईआर नं. 178/2012 दर्ज करवाई। पुलिस अन्वीक्षा में जरिये चालान में बिना प्रतिफल एंव बिना कब्जा होने से चालान प्रस्तुत किया जो जैरकार है। इन्तकाल की कार्यवाही केवल वाद जैरकार होने से निर्णित की गई है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

चूंकि उक्त दोनों ही प्रार्थना पत्रों में वर्णित प्रश्नगत कृषि भूमि एवं प्रार्थीगणों द्वारा चाहा गया अनुतोष समान होने के कारण धारा 144, सी.पी.सी. के हस्तगत दोनों प्रार्थना पत्रों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। अप्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्रों को शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली बहस हेतु विनिश्चित की गई।

प्रार्थीगणों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत बहस एवं न्यायालय हाजा में विचाराधीन घोषणात्मक वाद संख्या 460/2013 अनवान महेन्द्र सिंह बनाम नारायण सिंह व अन्य एवं इसके साथ एकीकृत की गयी अन्य वाद पत्रावलियों (475/2013 पंकज कुमार बनाम सुखदेवसिंह व अन्य, 122/2015 महेन्द्रसिंह बनाम तारोबाई व अन्य, 15/2016 तारोबाई बनाम हरदीपसिंह व अन्य) का गहनता से अवलोकन किया गया। घोषणात्मक वाद संख्या 460/2013 अनवान महेन्द्र सिंह बनाम नारायण सिंह व अन्य एवं अन्य एकीकृत पत्रावलियों में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 15.01.2019 एवं सशोधित आदेश दिनांक 17.01.2019 में न्यायालय द्वारा विवाद्यको के विवेचन में प्रार्थी श्री पंकज कुमार के संदर्भ में प्रथमतः प्रकरण संख्या 425/2013 (72/2006) शीर्षक गण्डासिंह बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में जारी आदेश दिनांक 05.12.2006 जिसमें आवंटी श्री नारायणसिंह पुत्र पंजाबसिंह की जाति जंट सिख के स्थान पर रायसिख दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये थे, को न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 11.03.2013 के द्वारा निरस्त किया जाने एवं पुलिस थाना चूनावढ में पंजिबद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन संख्या 178 दिनांक 04.11.2012 के सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन संख्या 20130014 दिनांक 27.01.2013 के अनुसार श्री नारायणसिंह आत्मज श्री पंजाबसिंह, रायसिख के स्थान पर श्री गण्डासिंह के रिस्तेदार श्री दयालसिंह आत्मज श्री जागरसिंह रायसिख द्वारा फर्जी श्री नारायणसिंह बनकर अपने मौहल्ला की पंच श्रीमति पालो बाई धर्मपत्नि श्री सतनामसिंह को साक्षी बनाकर फर्जी पावर ऑफ एटार्नी तैयार करवाई गयी, जिसके आधार पर ही श्री पंकज पुत्र श्री रामचन्द्र अरोडा के पक्ष में विक्रय विलेख दिनांक 12.07.2007 निष्पादित किया गया। ऐसी स्थिति में विक्रय विलेख दिनांक 12.07.2007 प्रारम्भतः ही अवैध होने के कारण प्रार्थी श्री पंकज कुमार को पंजिकृत विक्रय विलेख दिनांक 12.07.2007 द्वारा क्रयाधीन कृषि भूमि पर किसी प्रकार के विधिक अधिकार उपलब्ध नही होते है। ऐसे पंजिबद्ध अभिलेख में अन्तर्लिप्त सम्पत्ति के कब्जा विहीन होने के कारण भी प्रारम्भतः अवैध होना माना गया। इसी प्रकार प्रार्थीया तारोबाई के संदर्भ में भी पुलिस थाना चूनावढ में पंजिबद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन संख्या 178 दिनांक 04.11.2012 के सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन संख्या 20130014 दिनांक 27.01.2013 के परिदृश्य में तारो बाई के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 04.08.2015 आधारहीन, अवैध एवं प्रारम्भ से ही निष्प्रभावी अभिलेख मानते हुए तारो बाई को भी किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से खातेदार काश्तकार एवं हकदार नही माना गया। जबकि प्रार्थीया तारोबाई के पास ना तो क्रयाधीन (वादग्रस्त) कृषि भूमि का कभी भौतिक कब्जा रहा ना ही राजस्व रिकार्ड में भूमि इनके नाम कभी दर्ज हुई। उक्त तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर वाद पत्र निरस्त किया जाकर **वादी के मूल आवंटित श्री नारायण सिंह से वास्तविक संबंधों बाबत् सक्षम न्यायालय से अज्ञाप्ति प्रस्तुत करने तक वादग्रस्त कृषि भूमि (चक 1 जे बड़ा की खाता संख्या 30/66 की 23.16 बीघा बारानी कृषि भूमि) का कब्जा ... सरकार के पक्ष में लिये जाने का निर्णय/डिक्री दिनांक 15.01.2019 व संशोधित आदेश ... 17.01.2019 जारी किया गया।**

उक्त फैसले के विरूद्ध श्री पंकज कुमार एवं तारो ... द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम क्रमशः अपील संख्या 30/2019, 51/2019 ... 28/2019, 29/2019 प्रस्तुत कि गयी। जिसमें माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा आदेश दिनांक 07.09.2020 से न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 15.01.2019 एवं 17.01.2019 को निरस्त कर पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज, साक्ष्य, दावा एवं जवाब दावा का विवेचन करते हुए पुनः निर्णय पारित करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

का आदेश देते हुए प्रकरण को पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया जो वर्तमान में न्यायालय हाजा में विचाराधीन है।

प्रार्थीगण श्री पंकज कुमार एवं तारो बाई द्वारा निवेदन किया गया है कि राजस्व रिकार्ड में दिनांक 15.01.2019 से पूर्व कि स्थिति को बहाल किया जावें। क्योकि उक्त निर्णय माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 07.09.2020 से निरस्त फरमाया जा चुका है। जिसके विरूद्ध कोई रिव्यू, अपील या निगरानी लम्बित नही है। उक्त के संबंध में वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि प्रकरण में सर्वप्रथम उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष धारा 136 एल आर एक्ट प्रकरण संख्या 72/2006 (425/2013) अनवानी गण्डा सिंह बनाम सरकार प्रस्तुत किया गया, जिसमें तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 05.12.2006 के द्वारा चक 1 जे बड़ा के खाता संख्या 30/66 की भूमि को नारायणसिंह पुत्र पंजाब सिंह की जाति जटसिख के स्थान पर रायसिंख दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये गये थें। जिसमें प्रार्थी जंगीर सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 15.06.2009 को प्रार्थी जंगीर सिंह के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपने पूर्व निर्णय दिनाक 05.12.2006 की क्रियान्विति अग्रिम आदेश तक स्थगित की जाकर सुनवाई का अवसर दिया गया तथा जंगीरसिंह को वाद में पक्षकार नं. 02 पर स्थापित किया गया, परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय करते हुए तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 03.07.2012 से श्री जंगीर सिंह द्वारा पक्षकार बनाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिव्यू प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया एवं पूर्व में जारी स्थगन आदेश को भी खारिज किया जाकर निर्णय दिनांक 05.12.2006 को उचित पाते हुए बहाल किये जाने का आदेश जारी किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 03.07.2012 के विरूद्ध प्रार्थी महेन्द्र सिंह द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर के समक्ष निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 एलआर एक्ट 1956 निगरानी संख्या 6984/2012 अनवान महेन्द्र सिंह बनाम गण्डा सिंह व अन्य प्रस्तुत की गई। जिसमें माननीय मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 11.09.2012 से निगरानी विचारार्थ ग्रहण करने के बिन्दु पर आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश 03.07.2012 को निरस्त किया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार करते हुए नजरसानी में पक्षकार बनाने का आदेश पारित किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष की सुनवाई के पश्चात नजरसानी का निस्तारण गुणवागुण पर विधि अनुरूप करने हेतु निर्देशित किया गया।

माननीय मण्डल के आदेश दिनांक 11.09.2012 की पालना में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 11.03.2013 द्वारा टिप्पणी की कि **"प्रश्नगत भूमि में से 4.554 हैक्टेयर भूमि का बेचान दिनांक 12.07.2007 को किया जा चुका है। एलआर एक्ट की धारा 136 के तहत Clerical Errors को दुरूस्त करने का प्रावधान है। प्रश्नगत भूमि का घोषणात्मक वाद न्यायालय में जेरकार है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली घोषणात्मक वाद की पत्रावली के संलग्न किये जावे।"**

तदोपरान्त विचाराधीन घोषणात्मक वाद संख्या 460/2013 अनवान महेन्द्र सिंह बनाम नारायण सिंह व अन्य एवं अन्य एकीकृत पत्रावलि[illegible]ालय हाजा के निर्णय दिनांक 15.01.2019 एवं सशोधित आदेश दिनांक 17.0[illegible]19 [illegible]रा वाद पत्र निरस्त करते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि (चक [illegible] के [illegible] की खाता [illegible] 30/66 की 23.16 बीघा बारानी कृषि भूमि) का कब्जा भ[illegible] जाने के आदेश जारी किये गये। जिसे विरुद्ध प्रार्थीगणों द्वारा माननीय न्यायाल[illegible] राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत अपीलों में माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा आदेश दिनांक 07.09.2020 से न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 15.01.2019 एवं संशोधित आदेश दिनांक 17.01.2019 को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया जो वर्तमान में न्यायालय हाजा में विचाराधीन है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (पदमपुर टेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:32 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

निष्कर्षतः चूंकि प्रकरण में प्रश्नगत कृषि भूमि के मूल आवंटी श्री नारायणसिंह पुत्र पंजाब सिंह की वास्तविक जाति (जटसिख अथवा रायसिख) एवं भूमि के वास्तविक अधिकारी/हकदार की स्थिति न्यायालय के समक्ष आदिनांक तक अस्पष्ट है। न्यायालय के विन्रम मतानुसार वादीगणों द्वारा मूल वाद में उक्त तथ्य को पर्याप्त व ठोस साक्ष्य सबूत द्वारा साबित करने पर केवल मूल वाद में ही आवंटी की जाति एवं प्रश्नगत आराजी के सही अधिकारी/हकदार बाबत् निर्णय किया जा सकता है। पत्रावली में श्री नारायणसिंह पुत्र पंजाब सिंह जटसिख है या रायसिख यही यक्ष प्रश्न है। जिसका उत्तर मूल दावे के निस्तारण में अर्न्तनिहित है। मूल वाद का निर्णय किये जाने से पहले दिनांक 15.01.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल किया जाना इस आलोक में कि इसी न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी अनवानी श्री महेन्द्रसिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य विचाराधीन है, न्यायहित में उचित नही है। क्योंकि इन समस्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण मूल वाद के निस्तारण में समाहित है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 144, 151 सीपीसी इसी स्तर पर खारिज किये जाते है। प्रार्थीगण मूल वाद अनवानी महेन्द्र सिंह बनाम नारायण सिंह व अन्य में निर्धारित आगामी तारीख पेशी 28.11.2025 को श्री नारायणसिंह वल्द पंजाब सिंह जाति रायसिख निवासी सीड फार्म अबोहर के पहचान बाबत् ठोस साक्ष्य व सबूतों के साथ प्रस्तुत हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:32 IST
Reason: SelfAttested